छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन–नया रायपुर
------0------
//आदेश//

रायपुर, दिनांक 7 / 09/2016

क्रमांक एफ 6–10/2014/20–तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग की गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा की प्रत्याशा में निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी0एड0) पाठ्यक्रम में सत्र 2016–17 में प्रवेश हेतु अनंतिम शुल्क निर्धारण किया जाता है। शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा तब तक लागू रहेगा, जब तक कि समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारण नहीं कर दिया जाता।

निजी संस्थाओं में संचालित डी0एड0 पाठ्यक्रम के लिये अनंतिम शुल्क (शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क) छ0ग0 के एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए एक समान रूपये 16000/– प्रतिवर्ष प्रति छात्र रहेगा। इसके अतिरिक्त संस्थाएँ रूपये 1500/– प्रति छात्र एक मुश्त कॉशन मनी के रूप में अवधान राशि ले सकती है, जो वापसी योग्य है।

**निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनंतिम शुल्क सत्र 2016–17**

**शुल्क हेतु अन्य निर्देश निम्नानुसार है :–**

1. राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी0एड0 पाठ्यक्रम का अनंतिम शुल्क (प्रवेश हेतु) रूपये 16000/– प्रतिवर्ष प्रति छात्र होगा। तथा इसके अतिरिक्त रूपये 1500/– कॉशनमनी (एक बार) तथा परीक्षा शुल्क ही देय होगा।
2. यह शुल्क सत्र 2016–17 में प्रवेश ले चुके छात्रों पर भी लागू होगा।
3. समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक शुल्क लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में शुल्क लेना केपीटेशन शुल्क कहलायेगी एवं दोषी संस्था के ऊपर शासन के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
4. संस्था द्वारा ट्रान्सपोर्ट शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क न लाभ न हानि (no profit no loss) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता से ले सकता है।
5. परीक्षा शुल्क एवं काउंसलिंग शुल्क क्रमशः छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर एवं एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर द्वारा जो निर्धारित किया गया वही लिया जाना है।

//2//

6. निजी शिक्षा महाविद्यालयों के डी0एड0 पाठ्यक्रम के लिए प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित स्टाफ की नियुक्ति परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्ड के अनुरूप करना आवश्यक होगा।
7. प्रबंधन समिति को अशासकीय महाविद्यालयों के स्टॉफ को राज्य के शासकीय संस्थाओं के स्टॉफ के समकक्ष वेतन देना होगा।
8. डी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित यह अनंतिम शुल्क राज्य के समस्त डी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में लागू होगा। उक्त महाविद्यालय चाहे तो निर्धारत शुल्क से कम शुल्क ले सकेंगे इसमें समिति या शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी0एड0 प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार के लिए महाविद्यालयों की नियमित मानीटरिंग होगी तथा पाठयक्रम के संचालन के आधार पर अच्छे श्रेणी में आने वाले महाविद्यालयों को प्रेरक राशि (Incentive) के रूप में प्रति छात्र रूपये 500/- प्रति वर्ष प्रति छात्र शुल्क में अतिरिक्त राशि लेने का प्रावधान किया जाता है। इसमें सामान्य समूह में आने वाले महाविद्यालय भी अच्छे महाविद्यालय के श्रेणी में शामिल हो सकेंगे। ऐसे महाविद्यालय को अपनी गुणवत्ता सुधार कर इसकी जानकारी परिषद् को देनी होगी। तब परिषद् निरीक्षण कर इसकी जांच करेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर परिषद् महाविद्यालय की श्रेणी घोषित करेगा।
10. राज्य के समस्त निजी शिक्षा (डी0एड0) महाविद्यालयों का निरीक्षण उपरान्त दो वर्ग में विभाजित करने के उपरान्त अच्छे श्रेणी में आने वाले महाविद्यालय रूपये 500/- प्रति छात्र प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि प्रेरक राशि के रूप में ले सकेंगे तथा सामान्य वर्ग में आने वाले महाविद्यालय कोई अतिरिक्त राशि नहीं ले सकेंगे।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार,**

**(अब्बास खान)**
**अवर सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग**

order

पृ0क्रमांक एफ 6–10/2014/20–तीन
**प्रतिलिपिः–**

रायपुर, दिनांक 9 /09/2016

(1) माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, सचिवालय, रायपुर।
(2) विशेष सहायक, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, नया रायपुर।
(3) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(4) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(5) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(6) सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(7) सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(8) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
(9) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बी.टी.आई. ग्राउंड, शंकर नगर, रायपुर। **कृपया संबंधित शिक्षा महाविद्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।**
(10) सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पेंशनबाड़ा, रायपुर।
(11) समस्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय, ........................................................................................................................................ को पालनार्थ।
(12) जन संपर्क अधिकारी, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
(13) **गार्ड फाईल।**

**की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

**अवर सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग**

order

# डी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी महाविद्यालय

| स.क्र. | महाविद्यालय का नाम | स्वीकृत सीटों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | क्राइस्ट कालेज जगदलपुर | 50 |
| 2 | डी.पी. विप्र महाविद्यालय लिंक रोड़ बिलासपुर | 50 |
| 3 | कालेज ऑफ एजुकेशन, मेढुका, पोस्ट दर्री, पेन्ड्रा बिलासपुर | 50 |
| 4 | राहौद एजुकेशन सोसायटी राहौद, जिला जांजगीर चांपा | 50 |
| 5 | पंडित हरिशंकर कॉलेज आफ एजुकेशन, नेला रोड़ सरखो, जिला जांजगीर चांपा | 50 |
| 6 | श्री रावतपुर सरकार संस्थान धनेली | 50 |
| 7 | प्रगति कालेज सेन्ट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी रायपुर | 100 |
| 8 | जी.एच. रायसोनी, नेशलन कॉलेज मोवा रायपुर | 50 |
| 9 | श्री रावतपुर सरकार इंस्टीटयूट चमपारण रोड़, नया रायपुर | 50 |
| 10 | ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्राम धनेली, जिला रायपुर | 50 |
| 11 | श्री रावतपुर सरकार संस्थान कुम्हारी, दुर्ग | 50 |
| 12 | जी0एस0 आर्य, कन्या महाविद्यालय दुर्ग | 50 |
| 13 | जी0एस0 रूंगटा शिक्षा एवं तकनीकि महाविद्यालय भिलाई दुर्ग | 50 |
| 14 | भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली, भिलाई | 50 |
| 15 | कांती दर्शन महाविद्यालय कांती दर्शन परिसर कोसानदर भिलाई | 50 |
| 16 | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आर्ट एवं कामर्स महाविद्यालय रेल्वे के पास धनोरा रोड़ रिसाली, भिलाई | 50 |
| 17 | विश्व भारती इंस्टीट्यूट कोन्टा दन्तेवाड़ा | 50 |
| 18 | इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एंड सांइसेस गरियाबंद रायपुर | 50 |

(अब्बास खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

order